भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *58

उत्तर देने की तारीख: 03.12.2025

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

***58. श्री जी. कुमार नायक:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा और उनके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस निगम की योजनाओं के प्रारंभ से लेकर अब तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके अंतर्गत आबंटित और जारी की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान निगम की योजनाओं के अंतर्गत कितने लाभार्थियों ने सहायता प्राप्त की है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

******

'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम' विषय पर श्री जी. कुमार नायक द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 03.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *58 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) देश भर में स्वरोजगार आय सृजन उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करके (06) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के "पिछड़े वर्गों" के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनी योजनाओं को लागू करता है। एनएमडीएफसी की योजनाएं संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से लागू की जाती हैं। एनएमडीएफसी योजनाओं का विवरण **"अनुबंध - क"** के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ग): एनएमडीएफसी योजनाओं के लागू होने के बाद से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई कुल धनराशि और लाभार्थियों की संख्या का विवरण **"अनुबंध-ख"** के रूप में संलग्न है। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई धनराशि और एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का विवरण **"अनुबंध-ग"** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-क

"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम" विषय पर श्री जी. कुमार नायक द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 03.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पात्रता की शर्त

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, एनएमडीएफसी योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने के पात्र हैं।
2. क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता मानदंड प्रति वर्ष 3.00 लाख रुपये तक है। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत, प्रति वर्ष 8.00 लाख रुपये तक की उच्च वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति उच्च ब्याज दर पर अधिक वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाएं

1. सावधि ऋण :- इस योजना के अंतर्गत सहायता किसी भी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से संभव उद्यम के लिए उपलब्ध है। क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 20.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।
क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रति लाभार्थी अधिकतम 30.00 लाख रुपये तक का उच्चतर ऋण उपलब्ध है।

शिक्षा ऋण :- शिक्षा ऋण योजना सावधी ऋण योजना का हिस्सा है। अधिकतम 5 वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि वाले तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत, भारत में पाठ्यक्रमों के लिए 20.00 लाख रुपये और विदेश में पाठ्यक्रमों के लिए 30.00 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है, जबकि क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों से 8% प्रति वर्ष और महिला लाभार्थियों से 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है।

विरासत योजना :- यह योजना भी सावधी ऋण योजना का हिस्सा है और इसे कारीगरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है, जो उपकरण/औजार/मशीनरी की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी दोनों के आधार पर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट लाइन -1 के अंतर्गत पुरुष कारीगर के लिए 5% प्रति वर्ष और महिला कारीगर के लिए 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर और क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरुष कारीगर के लिए 6% प्रति वर्ष और महिला कारीगर के लिए 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

2. सूक्ष्म वित्त :-सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों, विशेष रूप से दूरदराज के गांवों और शहरी झुग्गियों में बिखरे अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को सूक्ष्म ऋण दिया जाता है, जो औपचारिक बैंकिंग ऋण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस योजना के लिए आवश्यक है कि

लाभार्थियों को एसएचजी में संगठित किया जाए और उनमें बचत और ऋण की आदत डाली जाए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत प्रति SHG सदस्य को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।

क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पुरूष लाभार्थियों के लिए 10% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रति SHG सदस्य के अनुसार अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का उच्चतर ऋण उपलब्ध है।

एनएमडीएफसी योजनाओं के क्रेडिट लाइन-वार अन्य मापदंड और वित्तपोषण संरचना

क. क्रेडिट लाइन 1

क्र.सं.	मापदंड	सावधि ऋण	शिक्षा ऋण	सूक्ष्म वित्त	विरासत
1	अधिकतम ऋण राशि (लाख रु. में)	20	20 (भारत में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए) 30 (विदेश में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम)	1 प्रति SHG सदस्य 20 व्यक्तियों के समूह के लिए 20	10
2	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	6	3	7	5 (पुरुष) 4 (महिला)
3	एससीए/बैंक द्वारा एनएमडीएफसी को ब्याज दर (%प्रति वर्ष)	3	1	1	3 (पुरुष) 2 (महिला)
4	लाभार्थियों के लिए अधिस्थगन अवधि	**6 महीने**	**पाठ्यक्रम की समाप्ति के 6 महीने के बाद या रोजगार मिलने पर, जो भी पहले हो**	**3 महीने**	**6 महीने**
5	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान अवधि	**5 वर्ष**	**5 वर्ष**	**3 वर्ष**	**5 वर्ष**
6	वित्तपोषण के साधन एनएमडीएफसी: एससीए/बैंक: लाभार्थी के	90 : 5 : 5			

ख. क्रेडिट लाइन 2

क्र.सं.	मापदंड	सावधि ऋण	शिक्षा ऋण	सूक्ष्म वित्त	विरासत
1	अधिकतम ऋण राशि (लाख रु. में)	30	20 (भारत में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए) 30 (विदेश में 5 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम)	1.50 प्रति स्वयं सहायता समूह सदस्य 20 व्यक्तियों के समूह के लिए 30	10
2	लाभार्थियों के लिए ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	8 (पुरुष) 6 (महिला)	8 (पुरुष) 5 (महिला)	10 (पुरुष) 8 (महिला)	6 (पुरुष) 5 (महिला)
3	एससीए/बैंक द्वारा एनएमडीएफसी को देय ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	5 (पुरुष) 3 (महिला)	2	4 (पुरुष) 2 (महिला)	4 (पुरुष) 3 (महिला)
4	लाभार्थियों के लिए अधिस्थगन अवधि	**6 महीने**	**पाठ्यक्रम की समाप्ति के 6 महीने के बाद या रोजगार मिलने पर, जो भी पहले हो**	**3 महीने**	**6 महीने**

5	लाभार्थियों के लिए पुनर्भुगतान अवधि	5 वर्ष	5 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
6	वित्तपोषण के साधन एनएमडीएफसी: एससीए/बैंक: लाभार्थी	90 : 5 : 5			

अनुबंध-ख

"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम" विषय पर श्री जी. कुमार नायक द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 03.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31-03-2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का संचयी संवितरण और एनएमडीएफसी द्वारा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

राशि करोड़ रुपए में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म वित्त		सावधि ऋण		कुल	
	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी
अंडमान एवं निकोबार	-	-	0.03	3	**0.03**	**3**
आंध्र प्रदेश	10.67	24,328	60.90	31,215	**71.57**	**55,543**
अरुणाचल प्रदेश	0.02	42	2.42	150	**2.45**	**192**
असम	6.12	8,548	9.77	1,871	**15.89**	**10,419**
बिहार	1.32	6,154	52.37	13,249	**53.68**	**19,403**
चंडीगढ़			2.12	301	**2.12**	**301**
छत्तीसगढ़	1.50	667	9.40	1,370	**10.90**	**2,037**
दिल्ली	0.73	611	4.76	860	**5.49**	**1,471**
गोवा	-	-	1.84	121	**1.84**	**121**
गुजरात	1.46	1,769	97.15	18,438	**98.61**	**20,207**
हरियाणा	9.99	7,119	85.09	12,353	**95.08**	**19,472**
हिमाचल प्रदेश			99.61	8,773	**99.61**	**8,773**
जम्मू और कश्मीर	9.58	5,778	564.27	47,063	**573.85**	**52,841**
झारखंड	0.35	456	10.00	1,343	**10.35**	**1,799**
कर्नाटक	3.73	4,393	134.27	24,902	**138.00**	**29,295**
केरल	1,156.79	5,23,621	1,807.53	1,75,122	**2,964.32**	**6,98,743**
लद्दाख	-	-	1.02	68	**1.02**	**68**
लक्षद्वीप	-	-	0.27	41	**0.27**	**41**
मध्य प्रदेश	1.15	1,379	13.41	5,064	**14.56**	**6,443**
महाराष्ट्र	11.01	7,713	155.32	18,016	**166.33**	**25,729**
मणिपुर	0.25	1,855	2.29	461	**2.53**	**2,316**
मेघालय	0.09	82	1.58	151	**1.67**	**233**
मिजोरम	0.10	123	65.55	14,914	**65.65**	**15,037**
नागालैंड	24.37	12,195	75.80	13,634	**100.16**	**25,829**
ओडिशा	2.88	4,443	11.11	3,147	**14.00**	**7,590**
पुदुचेरी	5.85	2,961	15.15	2,139	**21.00**	**5,100**

पंजाब	-	-	107.57	17,793	**107.57**	**17,793**
पंजाब ग्रामीण बैंक	-	-	2.00	134	**2.00**	**134**
राजस्थान	1.40	3,325	185.52	19,102	**186.93**	**22,427**
सिक्किम	-	-	1.20	79	**1.20**	**79**
तमिलनाडु	411.93	2,29,302	248.72	24,527	**660.65**	**2,53,829**
तेलंगाना	3.95	634	3.95	247	**7.90**	**881**
त्रिपुरा	0.05	50	118.13	9,954	**118.18**	**10,004**
उत्तर प्रदेश	5.19	10,949	173.34	35,203	**178.54**	**46,152**
उत्तराखंड	0.20	1,130	10.46	1,146	**10.66**	**2,276**
पश्चिम बंगाल	2,400.25	10,63,462	1,427.47	1,60,050	**3,827.73**	**12,23,512**

अनुबंध-ग

"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम" विषय पर श्री जी. कुमार नायक द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 03.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले 5 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित एवं संवितरित निधियों का विवरण और एनएमडीएफसी द्वारा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

राशि करोड़ रुपए में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025	
	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी
अंडमान एवं निकोबार	-	-	0.01	1	0.0046	1	0.02	1	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	3.04	479	5.10	2,525	1.54	187	1.88	172
अरुणाचल प्रदेश	-	-	0.52	23	-	-	-	-	1.90	127
असम	-	-	2.20	900	0.59	59	-	-	0.08	7
बिहार	-	-	1.23	161	0.04	4	0.14	12	0.10	6
चंडीगढ़	0.05	3	0.05	3	0.10	7	0.10	7	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	2
दिल्ली	0.20	13	-	-	0.25	17	-	-	-	-
गोवा	0.20	14	0.30	20	1.04	70	0.08	3	0.22	14
गुजरात	5.64	376	3.00	200	1.21	78	0.08	7	0.11	6
हरियाणा	2.87	456	2.80	184	8.80	633	2.66	185	5.71	360
हिमाचल प्रदेश	6.95	463	11.00	733	15.00	1,000	12.84	856	8.46	564
जम्मू और कश्मीर	24.79	1,885	35.00	2,667	62.78	5,019	28.30	1,911	29.2	1,95

									6	7
झारखंड	0.15	10	-	-	1.60	119	1.80	120	-	-
कर्नाटक	-	-	0.37	32	1.85	272	1.59	152	1.74	224
केरल	240.50	45,033	261.34	55,089	333.32	78,279	318.77	74,088	323.67	76,662
लद्दाख	-	-	0.02	1	-	-	-	-	1.00	67
लक्षद्वीप	-	-	0.24	39	0.03	2	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	0.19	8	0.0046	1	-	-	0.02	1
महाराष्ट्र	-	-	-	-	12.03	1,137	19.00	1,267	45.12	3,014
मणिपुर	-	-	0.44	113	0.03	8	-	-	-	-
मेघालय	-	-	1.60	166	0.03	4	-	-	0.01	1
मिजोरम	2.76	184	2.50	167	3.05	207	2.12	141	1.70	113
नागालैंड	-	-	-	-	0.03	5	-	-	-	-
ओडिशा	-	-	0.87	241	0.02	2	-	-	0.04	10
पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	0.02	1	-	-
पंजाब	-	-	1.80	57	0.85	60	1.14	77	9.44	629
पंजाब ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	134
राजस्थान	5.00	333	5.03	334	5.16	350	1.05	70	4.45	295
सिक्किम	0.20	13	0.80	53			-			

					-	-		-	0.20	13
तमिलनाडु	25.00	3,333	68.13	20,168	56.77	13,855	57.04	16,554	77.02	19,443
तेलंगाना	-	-	1.55	169	6.08	669	0.22	35	0.04	8
त्रिपुरा	10.00	667	3.00	200	0.01	1	-	-	0.03	3
उत्तर प्रदेश	21.00	2,400	0.90	37	1.32	133	1.35	75	1.22	94
उत्तराखंड	0.10	7	0.08	6	0.16	26	0.35	19	0.02	3
पश्चिम बंगाल	305.00	93,666	292.10	78,043	364.47	1,01,237	315.25	89,097	344.83	96,350